

# जनहितपत्र

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष: 27 अंक: 157 दिनांक: 21-05-2022 शनिवार मूल्य: 1 रुपया 50 पैसा पृष्ठ: 4 अहमदाबाद M

इंद्राणी मुखर्जी पर अपने तकलीफ़ डाइवर श्यामकर गया और पूर्व पति संजय खन्ना के साथ मिलकर अपनी 24 वर्षीय बेटी की हत्या करने का आरोप है। मुंबई में सीधीआइ की विशेष अदालत ने दो लाख रुपये का बांड भरने के बाद इंद्राणी को रिहा करने को अनुमति दे दी।

## ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाराणसी कोर्ट में ही मामला सुना जाए

शिवालिंग को सुनिश्चित रखा जाए और नमाज पढ़ने से नहीं रोके

नई दिल्ली (ईएमएस)। ज्ञानवापी मामले के लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दीर्घन तीन बड़े सुझाव समने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिवालिंग मिलने के दावे वाली जगह को सुनिश्चित किया जाए। इसकी वजह ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। पुलिस प्राप्तान को देखना होगा कि किसी न संख्या में वहां पर जा सकते हैं। तीसरी बाँड़ बाट कोर्ट की ओर से कही गई है, कि वाराणसी मॉप्पलैक्स है, वाराणसी में ही कोर्ट

को दायरे में नहीं आता है, क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 को रिहाई भी धार्मिक स्थल की स्थिति को लेकर है। जबकि ज्ञानवापी परिसर में स्थित देवी श्रींगार गौरी की उत्तमता, पूजा और दर्शन पिछली साल की अखिरी दर्शक तक हो रही थी। अदालत वहां थार्मिक स्थलों की स्थिति के सवालों पर पहले सुनवाई करे। फिर उसके कोर्टर और स्थिति की समीक्षा हो।

चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ने कार्य विश्वासीय न्यायालय

मिलन दामले में सुनवाई छह जुलाई

तक के लिए टाल दी। वाराणसी के अंगम इंसेर्जिया मस्जिद और अन्य

द्वारा दायर वाचिका पर सुनवाई के

बाद न्यायालय प्रकाश पांडिया ने

सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई

तक वाचिका में कहा गया है कि वाराणसी

में ही मामला सुना जाए।

सुनवाई के दीर्घन जिस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया है कि जिला जन न्यायिक अधिकारी होते हैं। जिला जन को इस नियम नहीं दे सकते हैं। कमीशन की रिपोर्ट को कैसे डील करना है। अदालतों को उसी मामले की सुनवाई करनी चाहिए। जिस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला जन अपने हिन्दूओं की तरफ से नहीं आता है, क्योंकि ये

जिला जन नियम नहीं दे सकते हैं।

वहां शुक्रवार को सुनवाई से पहले

हिन्दू पश्चात्यांकों की तरफ से 278 पर्स

का विस्तृत हलफनामा दिया गया है।

जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी का

मामला उपराना खल कानून 1991

चंद्रपुर में डीजल टैंकर और ट्रक की जोरदार

टक्कर से आग, 9 लोगों की मौत

मुंबई (ईएमएस)। महाराष्ट्र के

चंद्रपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ

है। डीजल टैंकर और ट्रक की जोरदार

भिड़त के बाद आग में जलने के कारण

9 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी को

की मौत के बाद राजकीय कमीशन के

में चंद्रपुर अस्पताल ले जाया गया।

इस घटना के बाद सड़क के दोनों

ओर गाड़ियों का जाम लग गया।

दमकल की कई काइड़ियां रात भर

आग को बुझाने का काम करते रहीं।

बताया जा रहा है कि ड्रक से जींस

पेट्रोल टैंक टकराने के कारण इलाहाबाद का टायर फटा और ट्रक अनियंत्रित होकर सामान से आ रहे टैंकर से टकरा

से टकरा गया। दोनों के टक्कर से भीषण

जिंदगी खो गई। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के लिए एक ट्रक से लड़ाने के जंगल के गाड़ियों

नहीं रहे। जिलानी के





